Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में सहायक वनपाल 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 जून, रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी इकाई द्वारा आज भैरूंलाल गुर्जर सहायक वनपाल, नाका दलेलपुरा, रेंज रामगढ़, कार्यालय रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वन विभाग द्वारा करवाये जा रहे दीवार निर्माण को परिवादी की जमीन में नहीं बनवाने की एवज में भैरूंलाल गुर्जर सहायक वनपाल, नाका दलेलपुरा, रेंज रामगढ़, कार्यालय रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी द्वारा **1 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याण मल मीणा** के सुपरवीजन में एसीबी बूंदी इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचंद** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस अधीक्षक श्री हरीश भारती** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये भैरूंलाल गुर्जर पुत्र श्री हरदेव निवासी लंका गेट, वैद्यनाथपाड़ा, बूंदी शहर हाल सहायक वनपाल, नाका दलेलपुरा, रेंज रामगढ़, कार्यालय रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी को परिवादी से 30 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सहायक वनपाल द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राषि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।